FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

मुरलीधर बनाम बनवारी लाल वगै0

किस्म मुकदमा – प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अधा 212 आर.टी.एक्ट. मुकदमा नम्बर 39 / 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये
07.05.2024	प्रार्थी की ओर से श्री भँवर सिंह चौधरी एड0 ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अधा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर किया जावें। वकील प्रार्थी के निवेदन पर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस मय नकलें साधारण तरीके से एंव रजिस्टर्ड डाक मय लिफाफे / स्पीड पोस्ट के जारी की जावें। पत्रावली वास्ते देखने तामील पत्रावली दिनांक 14.05.2024 को पेश हों। (हस्ताक्षर) (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)	
11.06.2024	दिनांक 14.05.2024 से इन्तजार (ड्यू पेशी दौरान) पर पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण ने उपस्थित होकर उक्त प्रकरण को आगे नहीं चलाकर इसी स्तर पर विड्रा कर खारिज किए जाने का निवेदन किया। जिस पर उपस्थित वकील प्रार्थीगण को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर सुना गया। वकील प्रार्थीगण के निवेदन पर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को विड्रा किए जाने की स्वीकृति दी जाती है तथा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Anil Kumar Date: 2024.06.21 17:01:11 IST Reason: SelfAttested (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)	